pnb Housing Finance Limited
Ghar Ki Baat

परिशिष्ट-IV-ए. अचल संपत्ति/यों की ई-नीलामी-सार्वजनिक बिक्री सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी-बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन :- 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com

शाखा कार्यालय : दिल्ली: 9वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110001

एतद्वारा आम जनता को और विशेष रूप में उन उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(रों), जिन्हें कॉलम संख्या–ए में इंगित किया गया है, को सूचित किया जाता है कि कॉलम संख्या–डी में विवरणित नीचे वर्णित अचल संपत्ति(यां), जो प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत/प्रभारित हैं, जिनका रचनागत/भौतिक अधिग्रहण मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा ले लिया गया है (जैसा कि कॉलम नंबर–सी में वर्णित है), अब उन्हें, नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार, **"जैसी हैं जहां हैं, जैसी हैं जो हैं और वहां जो कुछ भी हैं आधार"** पर बेचा जाएगा। एतद्वारा उधारकर्ता(ओं)/बंधककर्ता(ओं)/संबंधित उधारकर्ताओं/बंधककर्ता(ओं) (मृतक होने के बाद से) के विधिक उत्तराधिकारियों, विधिक प्रतिनिधि (चाहे ज्ञात या अज्ञात), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तरजीवी(वियों), समनुदेशिती(तियों), कॉलम संख्या–ए में निदर्शितानुसार जैसा भी मामला हो, को तिथि के अनुसार संशोधित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम–8(6) व 9 के अंतर्गत सूचित किया जाता है कि बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात् **www.pnbhousing.com** में दिए गए लिंक को देखें।

ऋण संख्या/ उधारकर्ता/ सह–उधारकर्ता /गारंटर(रों)/ विधिक उत्तराधिकारियों के नाम(ए)	मांगी गई राशि और तिथि (बी)	अधिग्रहण की प्रकृति (सी)	बंधककृत संपत्तियों का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	धरोहर (आरपी की 10%)(एफ)	बोली जमा करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धिशील दर (एच)	निरीक्षण तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि और समय(जे)	ज्ञात भारसत्ताधार/न्यायालय से प्रकरण, यदि कोई, (के)
00016710007103 सतीश गुप्ता, सतपाल सिंह अरोरा (गारंटर), सुनीता गुप्ता बी.ओ: दिल्ली	रु.1004206 एवं 13.09.2022	भौतिक कब्जा	साइड संख्या 3, सेक्टर–12,फरीदाबाद, हरियाणा–121002 में प्रस्तावित शॉपिंग मॉल, जिसका नाम सिटी मॉल है, का निर्माण किया जाएगा में संपत्ति संख्याः दुकान संख्या एलजीएफ–12, निचले भूतल पर,लगभग 280 वर्ग फुट के सुपर एरिया में	रु. 65,7000	रु 65,700	13.11.25	रु. 10,000	05–11–2025 को सुबह 10.00 बजे से शाम 5.30 बजे तक	14.11.2025 को दोपहर 2.00 से दोपहर 3.00 बजे तक	बाजार बिल्कुल का बकाया

*आगे के ब्याज 18: प्रति वर्ष की दर पर, जैसा लागू हो, भुगतान और/या वसूली की तिथि तक किए गए आकस्मिक व्ययों, लागत, प्रभार इत्यादि के साथ। **पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार, यहां, कॉलम संख्या–के में प्रकटीकृत विषय–सामग्री के अतिरिक्त उपर्युक्त अचल/प्रतिभूत परिसंपत्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणभार/दावा नहीं है। इसके अतिरिक्त, इस तरह के ऋणभारों का सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा अपनी ओर से पूरा/भुगतान किया जाना है। संभावित क्रेता(ओं)/बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे स्वतंत्र रूप से, उल्लिखित ऋणभारों की सत्यता का पता लगा लें।

(1) तिथि के अनुसार, यहां पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/प्रतिभूत परिसंपत्तियों की बिक्री, अलगाव और/या निस्तारण करने से रोकने का और/या उन पर न्यायालयी प्रतिबंध लगाने का कोई आदेश नहीं है तथा इस संदर्भ में वस्तुस्थिति का उपरोक्त स्तंभ सं.–'के' में वर्णन किया गया है। (2) संभावित क्रेता/बोलीदाता और इच्छुक पक्षकार, निविदा/बोली आवेदन प्रपत्र जमा करने या प्रस्ताव(वों) को देने से पहले, पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध स्वामित्व विलेखों के स्वामित्व सहित, लेकिन उन तक सीमित नहीं है, कॉलम सं.–'के' में वर्णित, की कार्यवाहियों/पारित आदेशों इत्यादि, यदि कोई, में उद्धृत अभिवचन का स्वतंत्र रूप से निरीक्षण कर सकते हैं और खुद को हर तरह से संतुष्ट कर सकते हैं। बोलीकर्ता(ओं) को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे। (3) कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(3) के निबंधनों के अनुसार, बोलीदाता(गण)/क्रेता, उसी दिन या अधिकतम अगले कार्य दिवस तक बिक्री मूल्य की राशि का 25% (धरोहर राशि सहित) जमा करने के लिए विधिक रूप में बाध्य हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(2) के अनुसार प्रतिभूत लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य की 25% राशि प्राप्त करने के बाद ही (बोलीदाता/ओं) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। क्रेता द्वारा बिक्री प्रतिफल राषि का शेष 75%, बिक्री पुष्टिकरण पत्र की पावती की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा किया जाना है और इस तरह की राशि को जमा करने में चूक होने पर, प्राधिकृत अधिकारी विक्रय पुष्टिकरण पत्र में अंकित 15 दिवसों की अनिवार्य अवधि के समापन की तिथि से 15 दिवसों के अंदर विक्रय आय राशि के आशिंक भुगतान को जब्त कर लेंगे तथा संपत्ति/प्रतिभूत परिसंपत्ति का सरफोएसि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पुनर्विक्रय कर दिया जायेगा। (4) मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका निगमित कार्यालय भूखंड सं. 68, तृतीय तल, सेक्टर 44 गुडगांव, हरियाणा 122003 में स्थित है, वह प्राधिकृत अधिकारी की, अपनी वेबसाइट **www.bankeauctions.com** पर ई–नीलामी के माध्यम से, विक्रय का संचालन करने में सहायता करेगी। संपत्ति के निरीक्षण या बोली प्रलेख प्राप्त करने से संबंधित किसी भी सहायता के लिए और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण के लिए, आपको श्री सतीश चंदर/सुनीता गुप्ता, जो कि पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत व्यक्ति हैं, के साथ, टोल फ्री नं.–1800 120 8800 एवं ई–मेल : **auction@pnbhousing.com** पर, समन्वयन कर संपर्क करना होगा अथवा **www.pnbhousing.com** का संदर्भ ग्रहण करना होगा।

स्थान : फरीदाबाद, दिनांक : 24–10–2025 हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

यूको बैंक UCO BANK (भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)
सम्मान आपके विश्वास का Honours Your Trust

यूको बैंक, हौज खास शाखा (0609)
ई–5, मेन मार्किट हौज खास, नई दिल्ली– 110016
फोन : 011–49404217 ईमेल : hauzkh@ucobank.co.in

परिशिष्ट–4 – (नियम 8(1) देखें) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने यूको बैंक, हौज खास शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित 12–08–2025 जारी की थी, जिसमें कर्जदार **श्री चक्रेश जैन पुत्र जैनेंद्र कुमार जैन और श्री नीरू जैन पत्नी चक्रेश जैन** से सूचना में वर्णितानुसार बकाया राशि **रू. 43,35,631.30 (शब्दों में रूपये तैंतालीस लाख पैंतीस हजार छह सौ इकतीस और पैसे तीस मात्र)** का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

कर्जदार बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, अतः एतद्द्वारा कर्जदार/गारंटर और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा **22–10–2025** को ले लिया है।

कर्जदार/गारंटर को विशेष रूप से तथा जन साधारण को एतद्द्वारा सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार यूको बैंक, हौज खास शाखा की बकाया राशि **रू. 43,35,631.30 (शब्दों में रूपये तैंतालीस लाख पैंतीस हजार छह सौ इकतीस और पैसे तीस मात्र)** का भुगतान आगे ब्याज तथा प्रभारों सहित, करने के बाद ही किया जा सकता है।

कर्जदार/गारंटर का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

संपत्ति के सभी अंश एवं खंड : फ्लैट नंबर डी–2/3 (पुराना नंबर 26), प्रथम तल (पश्चिमी तरफ), ब्लॉक एन, वशिष्ठ पार्क पश्चिम, खसरा संख्या 24/5 सागरपुर, गांव डाबरी, नई दिल्ली 110046, प्लिंट एरिया 900 वर्ग फीट या 83.61 वर्ग मीटर, जो श्रीमती नीरू जैन पत्नी चक्रेश कुमार जैन के नाम पर पंजीकृत है।

परिबद्ध : **उत्तर में:** रोड 20 वाइड **दक्षिण में:** गली 10 वाइड **पूर्व में:** अन्य की संपत्ति **पश्चिम में:** अन्य का फ्लैट

दिनांक : 22–10–2025, स्थान : हौज खास (हस्ता./–) प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक

सार्वजनिक सूचना

[सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 की धारा 13 के साथ पठित नियम 17 के अनुसार]

कंपनी रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी), दिल्ली एवं हरियाणा के समक्ष,

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप–धारा (3) और सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 के नियम 17 के उप–नियम (4) के संबंध में

और

ट्रैवेनकार्ट स्वाइस मर्चेंडाइज एलएलपी (एलएव –5231) के संबंध में, जिसका पंजीकृत कार्यालय अपर जी/एफ, आरजेडपी–262, फ्रंट साइड खं. नं. 43/18/3, गली नंबर 5, राज नगर, भाग II, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली–110077, भारत में है

... आवेदक

[सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 की धारा 13(3) और सीमित देयता भागीदारी नियम 2009 के नियम 17(4) के अनुसार सीमित देयता भागीदारी के पंजीकृत कार्यालय का एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन]

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि **ट्रैवेनकार्ट स्वाइस मर्चेंडाइज एलएलपी (एलएलपी)** सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 के अंतर्गत कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें 23 अक्टूबर, 2025 को आयोजित भागीदारों की बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार सीमित देयता भागीदारी समझौते में परिवर्तन की पुष्टि की मांग की गई है ताकि एलएलपी अपना पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली"** से **"केरल राज्य"** अर्थात ऊपरी जी/एफ, आरजेडपी –262, फ्रंट साइड खं. सं. 43/18/3, गली संख्या 5, राज नगर, भाग II, पालम कॉलोनी, राज नगर–II, नई दिल्ली–110077, भारत, **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत** से सी/ओ चांडी ईपी, मकान का नाम– एलेनेनगकुझी, मकान संख्या 5/364, गाँव– कुन्नमथानम, क्षेत्र का नाम– गुक्कूर, पोस्ट– पालकाप्पाडिकी, पुलिस स्टेशन– कीझुवाईपुर, जिला– पथानमथिट्टा, राज्य– केरल– 689581, भारत, **केरल राज्य के अंतर्गत** में परिवर्तित कर सके। **एलएलपी के पास कोई सुरक्षित और/या असुरक्षित लेनदार नहीं है।**

कोई भी व्यक्ति जिसका हित एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह अपने आपत्तियों को, हित की प्रकृति और विरोध के आधारों का उल्लेख करते हुए एक हलफनामे के साथ, इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर, कंपनी रजिस्ट्रार, **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी), दिल्ली और हरियाणा,** कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, आईएफसीआई टॉवर की चौथी मंजिल, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 को, पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है, जिसकी एक प्रति आवेदक एलएलपी को उसके पंजीकृत कार्यालय, अपर जी/एफ, आरजेडपी–262, फ्रंट साइड खं. नं. 43/18/3, गली नं. 5, राज नगर, भाग II, पालम कॉलोनी, राज नगर–II, नई दिल्ली 110077, भारत में भेज सकता है।

ट्रैवेनकार्ट स्वाइस मर्चेंडाइज एलएलपी के लिए और उसकी ओर से
हस्ता/–
चांडी ईपी
नामित भागीदार
डीकेआईएन–10653833

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 23.10.2025

पता: जी/एफ, आरजेडपी–262, फ्रंट साइड खं. नं. 43/18/3, गली नंबर 5, राज नगर, भाग II, पालम कॉलोनी, राज नगर–II, नई दिल्ली– 110077, भारत

फॉर्म नं. आईएनसी–26
रजिस्ट्रेशन (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार ,

एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए

समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

केंद्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 की उप नियम (5) के खंड (ए) के मामले में

और

ब्लू बेल फाइनेंस लिमिटेड (सीआईएन – U74899DL1985PLC022564) के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय 564 ए–1, पी. नं. 2/59, एएफ/एफ, भीम गली विश्वास नगर, शाहदरा, उत्तर पूर्व, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110032 में है,

.....**याचिकाकर्ता।**

आम जनता को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से 'गुजरात राज्य'.में बदलने में सक्षम बनाने के लिए गुरुवार, 16 अक्टूबर, 2025 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन की पुष्टि की मांग की गई है। कोई भी व्यक्ति जिसका कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, तो वह या तो एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म भरकर या अपने हित के प्रभाव से संबंधित आशय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र को और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी के निम्नलिखित पते पर पंजीकृत कार्यालय में इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर वितरित करवाएँ या पंजीकृत डाक द्वारा भेजें :
564 ए–1, पी. नं. 2/59, एएफ/एफ, भीम गली विश्वास नगर, शाहदरा, उत्तर पूर्व, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110032

याचिकाकर्ता के लिए एवं उसकी ओर से
ब्लू बेल फाइनेंस लिमिटेड
हस्ताक्षर/–
दीपक त्यागी, निदेशक
डीआईएन: 02760361
हस्ताक्षर/–
पंकज सक्सेना , निदेशक
डीआईएन: 08162590

दिनांक: 23.10.2025
स्थान: नई दिल्ली

COURT NOTICE

In The Court Of Ms. Shaweta
Judicial Magistrate - Ist Class Ludhiana
Divya Gulati Vs Chirag Gulati
CNR No:- PBLD03-082246-2023
Next Date:- 24-11-2025
Detail of offence:-
Notice To:
4. Sahil Gulati S/o Harish Gulati R/o H.No. 643, Sargauda Colony, Near Harmilap Mandi, Ward No. 12, Narayangarh, District Ambala, Haryana
In above titled case, the accused could not be served. It is ordered that accused should appear in person or through counsel on 24-11-2025 at 10.00 a.m.
For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?mod=district _notice&district=ludhiana
Judicial Magistrate - Ist Class Ludhiana

FIRST QUARTERLY NOTICE IN RESPECT OF EXIT OFFER TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF

EASTERN GENERAL INDUSTRIES LIMITED

CIN: U01131WB1952PLC020342
Registered Office: 90/31, Diamond Harbour Road, Kolkata - 700 038,
Tel. No.: 033- 2398-3475 / 3289, Email: official@rawjute.in, Website: www.rawjute.in

This first quarterly notice in respect of Exit Offer ("**Exit Offer Notice 1**") is being issued in accordance with Regulation 27 of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 as amended (the "**Delisting Regulations**") and in compliance with SEBI Exemption Letter SEBI/HO/CFD/CFD-RAC-DCR1/P/OW/2023/44667/1 dated November 06, 2023, by Mr. Harsh Vardhan Kejriwal forming part of the Promoters / Promoter Group (hereinafter referred to as the "**Promoter Acquirer**") of M/s. Eastern General Industries Limited (hereinafter referred to as the "**Company**"/ "**EGIL**"), to provide the Remaining Public Shareholders ("**Residual / Remaining Public Shareholders**") of EGIL an exit opportunity. The Acquirer intends to acquire 4500 (Four Thousand and Five Hundred) equity shares representing 2.25% of fully paid-up equity share capital of the Company held by the Residual Public Shareholders. This Exit Offer Notice 1 is in continuation of, and should be read in conjunction with the Initial Public Announcement dated December 05, 2023 ("**Initial Public Announcement**"/ "**IPA**"), the Offer Letter ("**Offer Letter**") dated December 17, 2024, the Exit Offer Public Announcement ("**Exit Offer PA**") dated July 16, 2025 published on July 17, 2025 and Exit Offer Letter dated July 16, 2025.

The equity shares of the Company have been delisted from The Calcutta Stock Exchange Limited ("**CSE**") i.e., the only Stock Exchange where the equity shares of the Company were listed, with effect from July 08, 2025 ("**Date of Delisting**").

1. OUTSTANDING EQUITY SHARES AFTER DELISTING

1.1 As the equity shares of the Company have already been delisted, the Acquirer has provided an Exit Offer in accordance with Regulation 26 of the Delisting Regulations and in compliance with SEBI Exemption letter SEBI/HO/CFD/CFD-RAC-DCR1/P/OW/2023/44667/1 dated November 06, 2023, as announced earlier in the Exit Offer PA. The remaining Public Shareholders of the Company who did not or were not able to tender their equity shares or who unsuccessfully tendered their equity shares will be able to offer their equity shares to the Acquirer at the price of Rs. 200.50 (Rupees Two Hundred and Fifty Paise Only) ("**Exit Price**") for a period of two year starting from the Date of Delisting i.e., from July 08, 2025 to July 07, 2027 ("**Exit Period**").

1.2 The Exit Offer Letter ("**Exit Offer Letter**") in this regard has been dispatched to the remaining Public Shareholders whose names appeared in the register of members of the Company as on July 11, 2025. In the event of any shareholder not receiving or misplacing their Exit Offer Letter, they may obtain a copy by writing to the Company, clearly marking the envelope "**EGIL- EXIT OFFER**" at 90/31, Diamond Harbour Road, Kolkata- 700 038. Alternatively, the soft copy of the Exit Offer Letter may be downloaded from the website of the Company at www.rawjute.in.

1.3 **Shareholders holding in Dematerialised Form:**

The beneficial owner and public shareholders will be required to send their Consent Form and other relevant documents to the Promoter Acquirer at 90/31, Diamond Harbour Road, Kolkata - 700038, either by registered post / courier or by hand delivery, at address mentioned above, along with a photocopy of the delivery instructions in "Off-market" mode or counterfoil of the delivery instructions in "Off-market" mode, duly acknowledged by the depository participant ("DP"), in favour of "**Eastern General Industries Ltd. Delisting Escrow Demat Account**" filled in as per the instructions given below:

Name of the Account in which Equity Shares will be transferred	Eastern General Industries Ltd. Delisting Escrow Demat Account
Name of Depository	National Securities Depository Limited
Name of Depository Participant	Anand Rathi Share and Stock Brokers Limited
Depository Participant's ID No.	IN301803
Client ID No.	10047126
ISIN No.	INE0GUO01016

2. PAYMENT OF CONSIDERATION TO RESIDUAL SHAREHOLDERS:

Subject to any regulatory approvals as may be required, the Acquirer intends to make payments on monthly basis, within 15 days of the end of the relevant calendar month ("**Monthly Payment Cycle**"). The first Monthly Payment Cycle commenced within 15 days from September 01, 2025 for Equity Shares tendered up to August 31, 2025. Payments will be made only to those shareholders who have validly tendered their equity shares by following the instructions laid out in the Exit Offer Letter and the application form enclosed therewith ("**Exit Application Form**"). Please note that the Acquirer reserves the right to make payments earlier.

Capitalized terms used but not defined in this Exit Offer Notice 1 shall have the same meaning assigned to them as in the IPA, Offer Letter, Exit Offer PA and Exit Offer Letter. In case the Public Shareholders have any query, they may contact the Compliance Officer of the Company i.e., Mr. Ravi Singh at ravisingh@rawjute.in.

Sd/-
Harsh Vardhan Kejriwal
(On behalf of self and other constituents of the Promoter / Promoter Group)

Date: 23.10.2025
Place: Kolkata

Arcil Primus Group

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड

सीआईएन: U65999MH2002PLC134884, वेबसाइट: www.arcil.co.in
पंजीकृत कार्यालय: द रूबी, 10वीं मंजिल, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई – 400 028 दूरभाष: 022.66581300

मांग सूचना

चूंकि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (नीचे उल्लिखित ट्रस्टों के लिए ट्रस्टी की क्षमता में कार्य करते हुए) (जिसे आगे "आर्सिल "के रूप में संदर्भित किया गया है) के अधिकृत अधिकारी को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत शामिल किया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 (जिसे आगे सरफेसी अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) के तहत एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया है और जबकि नीचे उल्लिखित चार्ट के कॉलम नंबर 2 में उल्लिखित उधारकर्ता / सह–उधारकर्ताओं ने मूल उधारदाताओं से ऋण प्राप्त किया है और जबकि आर्सिल ने नीचे उल्लिखित ऋण खातों से संबंधित वित्तीय परिसंपत्तियों का अधिग्रहण किया है और चूंकि आर्सिल सरफेसी अधिनियम के तहत सुरक्षित ऋणदाता है, और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 2 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, उधारकर्ताओं / नीचे उल्लिखित सह–उधारकर्ताओं को नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि को उस पर अतिरिक्त ब्याज सहित चुकाना था, लेकिन विभिन्न कारणों से उनमें से कुछ को नोटिस नहीं दिया जा सका।

क्र. सं.	लैन नं/ मूल ऋणदाता का नाम/डिमांड नोटिस की तिथि/ट्रस्ट का नाम	उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता का नाम/गारंटर	डिमांड नोटिस की तिथि के अनुसार भारतीय रुपये में कुल बकाया
1.	**लैनः** FEDMRT0HL0528310 **मूल ऋणदाता फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड** **मांग सूचना की तिथिः** 06.08.2025 **ट्रस्ट का नामः आर्सिल – ट्रस्ट –2026 – 007**	संजीव कुमार (उधारकर्ता) मेनका (सह–उधारकर्ता)	रु. 21,52,745.27/– 06.08.2025 तक
	अचल संपत्तियों/सुरक्षित संपत्तियों का विवरणः अचल संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा या पार्सल – पूर्वमुखी प्लॉट पर निर्मित मकान, जिसका माप 112.29 वर्ग गज है जो 93.31 वर्ग मीटर के बराबर है, खसरा संख्या 60 से संबंधित है, जो "ताजपुर सिंभालका के आवासीय क्षेत्र", राजस्व गांव ताजपुर सिंभालका, परगना, तहसील और जिला शामली 112.29 वर्ग गज 93.31 वर्ग मीटर के बराबर में स्थित है। उपर्युक्त अचल संपत्ति की सीमा निम्नानुसार है:– उत्तरः 33 फीट 06 इंच उसके बाद अर्जुन वर्मा का प्लॉट दक्षिणः 33 फीट 06 इंच उसके बाद श्रीमती मंजू का प्लॉट पूर्वः 30 फीट 02 इंच उसके बाद 16 फीट चौड़ी सड़क पश्चिमः 30 फीट 02 इंच उसके बाद ओमपाल का प्लॉट		
2.	**लैनः** FEDAHM0HL0516732 **मूल ऋणदाता** फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड **मांग सूचना की तिथिः** 16.09.2025 **ट्रस्ट का नामः आर्सिल – ट्रस्ट –2026 – 007**	रत्नेशकुमार पाल (उधारकर्ता) आरती पाल (सह–उधारकर्ता)	रु. 10,56,677.72/– 13.08.2025 तक
	अचल संपत्तियों/सुरक्षित संपत्तियों का विवरणः "स्वस्तिक रेजीडेंसी" नामक योजना में मकान नंबर 2 प्रवेश 28.35 वर्ग मीटर की संपत्ति के सभी अधिकार, शीर्षक और हित, साथ ही भूमि का अविभाजित हिस्सा प्रवेश 18. वर्ग मीटर, मौजेः सिंगारा, तालुका दस्करोई, अहमदाबाद के पंजीकरण जिले और अहमदाबाद के उप जिले – 12 (निकोल) की ग्राम पंचायत संपत्ति संख्या 362 पर स्थित है। सीमाएं: उत्तरः मकान नंबर 3। दक्षिणः मकान नंबर 1। पूर्वः सड़क। पश्चिमः अन्य संपत्ति।		

अतः, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं को नोटिस दिया जाता है, जिसमें उन्हें इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर संबंधित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता के विरुद्ध यहां ऊपर दर्शाई गई कुल बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है। संबंधित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता द्वारा आगे के ब्याज के साथ कुल बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, आर्सिलको ऊपर वर्णित संपत्तियों पर सुरक्षा हित के प्रवर्तन के लिए धारा 13(4) के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित अन्य तरीकों से नोटिस की सेवा के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। आपको सूचित किया जाता है कि उक्त बंधक को सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) में विस्तृत रूप से बताए अनुसार, सार्वजनिक नीलामी या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के लिए निजी संधि के लिए नोटिस के प्रकाशन की तारीख से पहले किसी भी समय आर्किल द्वारा किए गए लागत, शुल्क और व्यय सहित संपूर्ण देय राशि का भुगतान करने पर मोचन किया जा सकता है।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार, आपको सुरक्षित संपत्तियों को किसी भी तरह से बिक्री, पट्टे या किसी अन्य तरीके से हस्तांतरित करने और/या उनसे निपटने से रोका जाता है।

हस्ता/–
अधिकृत अधिकारी
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
(ट्रस्टी के रूप में)

स्थानः उत्तर प्रदेश
दिनांकः 24.10.2025

Truhome FINANCE

ट्रूहोम फाइनैंस लिमिटेड (पूर्वतः श्रीराम हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड)

प्रधान कार्यालय : लेवल–3, वॉकहार्ट टावर्स, ईस्ट विंग सी–2, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051;
टेलीफोन : 1800 102 4345 ; **वेबसाइट :** http://www.truhomefinance.in
पंजीकृत कार्यालय : श्रीनिवास टावर, प्रथम तल, डोर नं. 5, पुराना नं. 11, द्वितीय लेन, सेनाटोफ रोड, अलवरपेट, तेनामपेट, चेन्नई–600018

परिशिष्ट-IV-I [नियम 8(6) का प्रावधान देखें] **अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस**

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधान के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना,

सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदार/रों तथा गारंटर/रों को सूचित किया जाता है कि ट्रूहोम फाइनैंस लिमिटेड (पूर्वतः मैसर्स श्रीराम हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के रूप में ज्ञात) के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्तियां, जिनका भौतिक कब्जा ट्रूहोम फाइनैंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, तालिका में वर्णित अनुसार कर्जदारों और गारंटरों की तरफ ट्रूहोम फाइनैंस लिमिटेड की बकाया देय राशि की वसूली के लिए 17–11–2025 को पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे के बीच ई–नीलामी के माध्यम से "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" और "जो कुछ है वहां है" के आधार पर बेची जाएंगी।

कर्जदारों एवं गारंटरों का विवरण, देय राशि, अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण, सुरक्षित मूल्य और धरोहर राशि एवं निरीक्षण की तिथि भी निम्नानुसार हैं :

कर्जदारों/ सह–कर्जदारों/ गारंटरों/बंधकदाताओं का नाम	वसूली की राशि एवं मांग सूचना की तिथि	सुरक्षित मूल्य (रू.), एवं बोली वृद्धि	नीलामी की तिथि एवं समय	सम्पर्क व्यक्ति विवरण – (एओ तथा निपटान टीम)
श्री सुनील कुमार पुत्र श्री मुरारी लाल **मकान नंबर 385, पाकेट–2, पश्चिम पुरी, पश्चिम विहार, वेस्ट दिल्ली–110063** **अन